न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I. (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : राजस्व वाद संख्या/48/2022

1. ईसर लाल पुत्र कानाराम जाति रैगर आयु 35 वर्ष, निवासी रामदेव मंदिर के पास, रैगरो का मौहल्ला, जगतपुरा रोड, खो नागोरियान, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. अरसद अली उर्फ पप्पू पुत्र श्री नामालूम, निवासी कांटो की पीपली, रामगंज बाजार, जयपुर।
2. मुन्ना पुत्र श्री नामालूम निवासी आमगढवाला मदीना नगर, खो–नागोरियान जगतपुरा रोड जयपुर अधिकृत प्रतिनिधि श्री मनोज काला पुत्र श्री एम.पी. काला निवासी 1330 सांगो का रास्ता किशनपोल बाजार जयपुर।
3. मधु सैनी पत्नी श्री सत्यनारायण निवासी प्लाट नंबर 25 खो–नागोरियान जगतपुरा रोड जयपुर।
4. गोविन्द प्रसाद गौतम पुत्र श्री नामालूम निवासी म.नं. 201 भोजपुरा कच्ची बस्ती 22, गोदाम जयपुर।
5. मनोज बागडा पुत्र श्री महेश प्रकाश बागडा जाति जैन निवासी म.नं. 19, द्वारकापुरी गली जमनालाल बजाज मार्ग सी स्कीम जयपुर।
6. सिंधु गृह निर्माण सहकारी समिति, जयपुर कार्यालय 1134, भूराटिया बाबा हरीश चन्द्र मार्ग, जयपुर।

–प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

वाद बाबत् बेदखली एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक: 18.07.2023

वादी की ओर से दावा इस आशय के साथ पेश किया गया कि वादी की खातेदारी की कृषि भूमि बारानी ग्राम खो रेबारियान जयपुर सांगानेर जयपुर में खसरा नंबर 62 व 63 स्थित है जिसका क्षेत्रफल 0.92 हैक्टेयर है, उक्त भूमि अविभाजित कृषि भूमि है, जिसमें वादी एक तिहायी हिस्सा है। वादी की गैर मौजूदगी एवं अवयस्कता का लाभ उठाकर व सिन्धु नगर गृह निर्माण सहकारी समिति के अध्यक्ष व पदाधिकारियों द्वारा दिनांक 27 नवम्बर 1994 को वादी के हिस्से की सम्पूर्ण कृषि भूमि को बेचने का करार करवा लिया गया। इस करार पर श्री बाबूलाल, श्री सूजाराम व श्री कानाराम द्वारा हस्ताक्षर

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

किये गये। समिति के सदस्यों द्वारा जालसाजी पूर्वक वादी को ना तो सम्पूर्ण राशि का भुगतान किया गया एवं वादी के अनपढ होने का फायदा व झूठे प्रभोभन देकर इकरारनामा प्रतिज्ञा पत्र निष्पादित करवा लिया गया, समिति के सदस्यों द्वारा कुल रकम 10,07500/– में से वादी के भाईयों व परिवारजनो को मात्र 50,000/– की राशि का भुगतान किया। समिति के पदाधिकारियों द्वारा प्रतिज्ञा पत्र निष्पादित करवाने के पश्चात् ना तो वादी से संपर्क किया गया ना ही बकाया रकम का भुगतान किया गया और ना ही उक्त भूमि पर कब्जा लेने की कार्यवाही की गई। प्रतिवादी समिति के पदाधिकारियों ने इसके विपरित वादी को बिना सूचना दिये चुपचाप जयपुर विकास प्राधिकरण में सांठ–गांठ व मिली भगत कर तुरत फुरत में 90–बी की कार्यवाही करवाकर निर्णय दिनांक 21.03.2002 द्वारा उक्त अविभाजित कृषि भूमि की 90–बी करवा ली। समिति द्वारा उक्त क्षेत्र में हनुमान नगर योजना के नाम से रिहायशी योजना विकसित व स्थापित की एवं योजना अनुमोदन हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय में फाईल पेश की गई। प्राधिकारी अधिकारी द्वारा पारित 90बी के निर्णय की जानकारी, आदेश के उपरांत कुछ दिगर व्यक्तियों द्वारा हनुमान नगर योजना के पट्टे लेकर उक्त भूमि पर जांच पडताल करने आये तब वादी को पता लगा कि उनकी भूमि वास्ते कोई कार्यवाही जयपुर विकास प्राधिकरण में चल रही है। वादी के कब्जेशुदा व खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 62 व 63 की 90बी की जानकारी प्राप्त होते ही वादी द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष एक अपील अन्तर्गत 90–बी (7) विरूद्व निर्णय प्राधिकृत अधिकारी जोन सी–2 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर प्रस्तुत की। उक्त अपील प्रस्तुत करने के पश्चात माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी सी–2 एवम् प्रतिवादी संख्या 8 को नोटिस जारी किये गये, उस पर उपस्थिति नही होने पर माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त द्वारा जरिये दैनिक समाचार पत्र में सार्वजनिक सूचना तामील करवाने के आदेश प्रस्तुत किये गये, परन्तु प्रतिवादी संख्या 8 व प्राधिकृत अधिकारी सी–2 द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज नही करवाई गई तब काफी अवसद देने के उपरान्त एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। उक्त अपील संख्या 162/2013 को माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त द्वारा दिनांक 12.05.2014 को स्वीकार फरमाते हुए वादी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 62 व 63 रकबा 0.92 हैक्टेयर भूमि के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी सी–2 द्वारा पारित 90–बी आदेश दिनांक 21.03.2002 को निरस्त कर दिया। उक्त आदेश बाबत् निरस्तीकरण दिनांकित 12.05.2014 की

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

जयपुर विकास प्राधिकरण को प्रेषित की गई तथा उक्त कृषि भूमि उक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 62 व 63 को खो–रेवारियान जगतपुरा रोड सांगानेर जयपुर के संबंध में किसी भी प्रकार के नियमन न करने के कथन किये गये। उक्त कृषि भूमि पर वादी निवास कर रहा है व कृषि तथा इत्यादि कार्य करके परिवार का पालन–पोषण कर रहा है। दिनांक 30.04.2015 को प्रतिवादी 1 लगायत 6 व 7 जो कि भूमि खरीद फरोक्त का कार्य करते है तथा भूमाफिया किस्म के लोग है। वादी की कृषि भूमि पर आये तथा नापजोक करने लगे, जिस पर वादी द्वारा उक्त कार्यवाही करने से रोका गया तथा उक्त कृत्य की जानकारी पुलिस थाना खो–नागोरियान में दी गई। तथा सभी प्रतिवादीगण को सभी दस्तावेजो की नकल उपलब्ध करवायी गई यह कहा गया कि कृषि भूमि वादी की खातेदारी कृषि भूमि है व उक्त भूमि पर वादी का कब्जा है। उक्त भूमि को वादी द्वारा किसी को भी नही बेचा गया है। दस्तावेजो की नकल उपलब्ध करने के बावजूद भी स्थानीय पुलिस द्वारा प्रतिवादीगण से साठ–गांठ कर, कब्जे को रोकने की किसी भी प्रकार की कार्यवाही नही की जा रही है और आपस में मिलीभगत कर कुछ क्षेत्र पर कब्जा भी कर लिया है व अन्य क्षेत्र पर कब्जा करने हेतु उतारू है।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर विरूद्व प्रतिवादीगण व उनके अधिनस्थ अधिकारी, कर्मचारी, एजेन्ट, बेलदार मुंशी आदि को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी की कृषि भूमि बारानी ग्राम खो रेवारियान जयपुर सांगानेर जयपुर में खसरा नंबर 62 व 63 स्थित है जिसका क्षेत्रफल 0.92 हैक्टेयर है। वादी के कब्जे की कृषि भूमि में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे, ना ही किसी भी प्रकार का निर्माण करे, ना ही किसी से करवाये। साथ ही वादी की कुछ भूमि पर से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 द्वारा किये गये कब्जे से बेदखल किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रतिवादी संख्या 1, 5, 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उक्त के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। विचाराधीन वाद में प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 स्वयं एवम् उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहने पर उक्त के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी नियत की गई। तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत् एकपक्षीय कार्यवाही अपास्त किये जाने जरिये अधिवक्ता पेश किया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

लेकिन पेश करने के उपरांत स्वयं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहने पर प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया। प्रकरण में वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र गवाह ईसरलाल पुत्र कानाराम पेश किया गया।

पत्रावली वास्ते बहस वादपत्र नियत की गई। वकील वादी की बहस वादपत्र पर एकपक्षीय सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। वादी की ओर से प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2068–2071 खाता संख्या नया 15 पुराना 10 के अवलोकन से स्पष्ट है वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 62 व 63 के रिकॉडेर्ड खातेदार वादी व वादी के भाई है। तथा हाल जमाबंदी संवत् 2074–77 खाता संख्या नया 21 पुराना 19 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 62 व 63 ग्राम खोरेवारियान तहसील सांगानेर जिला जयपुर के रिकॉर्डेड खातेदार वादी व वादी के भाई है। वादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से भी स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात का वादी रिकॉर्डेड खातेदार है तथा वादग्रस्त आराजीयात पर काबिज काश्त है। वैसे भी प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के खण्डन में किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नही किये है ना ही जवाब दावा, साक्ष्य, सबूत एवं अपनी बहस प्रस्तुत की हैं। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत समस्त विधिक तथ्य अखण्डनीय हैं। ऐसे में वादी अपने वाद को सिद्ध करने में पूर्ण सफल रहा हैं। वादी का वाद डिक्री किये जाने योग्य हैं।

अतः वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 62 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 63 रकबा 0.8900 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.9200 हैक्टेयर वाकै ग्राम खोरेवारियान पटवार हल्का जयपुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र लूनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित में वादी के कब्जे की कृषि भूमि में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें, ना ही किसी प्रकार का निर्माण करें, ना ही किसी से करवायें। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को बेदखल किया जाकर कब्जा वादी व सहखातेदार को दिलाया जावें। इस आशय की डिक्री जारी की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 18.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत **सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय)** मुकाम **जयपुर** ब इजलास **श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)**

ईसरलाल **बनाम** अरसद अली उर्फ पप्पू व अन्य

वाद बाबत् बेदखली एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर – दावा/48/2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल–I व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू प्रतिवादी मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 62 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 63 रकबा 0.8900 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.9200 हैक्टेयर वाकै ग्राम खोरेवारियान पटवार हल्का जयपुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र लूनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित में वादी के कब्जे की कृषि भूमि में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें, ना ही किसी प्रकार का निर्माण करें, ना ही किसी से करवायें। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को बेदखल किया जाकर कब्जा वादी व सहखातेदार को दिलाया जावें। इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

निज .... मुबलिग .... बाबत् .... खर्चा इस मुकद्दमें में मय सूद बशरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18.07.2023 को जारी की गई।

मुहर

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

दस्तखत ....

ओहदा सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत् इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान		00	मीजान		

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय